फर्द अहकाम

नवलकिशोर बनाम रा० सरकार [illegible]

नाम न्यायालय

केस संख्या 326/2013 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	16/6/22	प.का. उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी/ वादी बहस नहीं की जाकर पत्रावली के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय हेतु निर्णय किया गया/ पत्रावली का अवलोकन किया गया/ वादी का वाद प्रतिवादी के विरुद्ध स्वीकार किया जाता है/ निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया/ पत्रावली फैसल शुमार होकर उप नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो/ Sd/- उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 04 / 2018

उनवान

1. नवलकिशोर पुत्र गणेशनारायण, जाति अहीर, निवासी रेनवाल रोड, वार्ड नं0 7, कस्बा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. ठा० गजेन्द्र सिंह पुत्र जवानसिंह, जाति राजपूत, निवासी कस्बा रेनवाल रोड, वार्ड नं0 7, कस्बा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूँ, कस्बा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 06.07.2022

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 299 में वर्णित खसरा नम्बर 2621 रकबा 0.45 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.45 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त आराजीयात् ही उपरोक्त आराजीयात् विवादग्रस्त है जिसे की वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त सम्पत्ति के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

उक्त वर्णित विवादग्रस्त सम्पत्ति हाल खाता संख्या 299 में वर्णित खसरा नम्बर 2621 सम्पूर्ण की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में निहित है। वादी अपनी भूमि पर काबिज होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा सुरक्षा की दृष्टि से वादी द्वारा उक्त आराजीयात् पर तारबन्दी भी कर रखी है।

उक्त वर्णित विवादित सम्पत्ति के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि का काबिज खातेदार स्वामी है। जिस कारण वादी को उपरोक्त आराजीयात् का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 का उक्त वर्णित विवादित सम्पत्ति के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 वादी की संयुक्त भूमि के पडौसी काश्तकार है जिनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2629 है जो कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 2621 के पूर्वी उत्तरी कोने में स्थित है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन बिना वजह वैमनस्य के कारण विवादग्रस्त भूमि को हडप करने व उस पर जबरिया नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से सींव डोल में तोड फोड करता रहता है तथा विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करता रहता है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक अधिकार नहीं है। इसी उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों की मदद से दिनांक 02.12.2013 को विवादग्रस्त सम्पत्ति पर आकर वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की विवादित भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित किया गया तथा जबरिया वादी को विवादित सम्पत्ति से बेदखल कर कब्जा करने का प्रयत्न किया गया तथा विवादित सम्पत्ति पर जबरिया निर्माण सामग्री एकत्रित कर कब्जा करने का प्रयास करते हुए एवं [illegible] की तारबन्दी को तोड दिया, जिसका विरोध वादी द्वारा किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को एहलानियां धमकी दी गई कि वह शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल कर देगा तथा वादी को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देगा जिसमें यदि वादी ने कोई आपति की तो इसका परिणाम अच्छा नही होगा, जिस कारण वादी द्वारा वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिक्री किया जाकर वादी को निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किया जावेः–

प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वर्णित विवादित सम्पति के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना हीं विवादित सम्पत्ति पर बनी पुख्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:34 IST
Reason: SelfAttested

तारबन्दी को तोडे, ना हीं उसे खुर्द बुर्द करें, ना हीं विवादित सम्पत्ति पर जबरिया कब्जा करने एवं वादी को बेदखल करने का प्रयास करें ना हीं विवादित सम्पत्ति की सींव डोल में ही तोड फोड करें, ना हीं वादी की भूमि की सींवडोल के लगवा कोई खाम या पुख्ता निर्माण कार्य करें, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 विवादग्रस्त सम्पत्ति के विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ना तो स्वयं करें ना हीं अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा जिरह नही की जाकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों अनुसार वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि हाल खाता संख्या 299 में वर्णित खसरा नम्बर 2621 रकबा 0.45 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.45 हैक्टेयर वाके ग्राम चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादी अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। डिक्री जारी हों। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2022 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

(सीमा खेतान)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:34 IST
Reason: SelfAttested